संख्या : जीआई ए/9-7-95-45 एन.आर.वाई/95

प्रेषक,

श्री आर.बी. भास्कर,
सचिव,
नगर विकास,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त, उ. प्र.।
समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.
योजना से संबधित अधिशासी, अधिकारी

लखनऊ : दिनांक : दिनांक : 17 नवम्बर, 95

नेहरू रोजगार योजना कोष्ठक

विषय : **प्रधानमंत्री की एकीकृत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का श्रेणी-2 के नगरों में सक्रियता से लागू कराया जाना।**

महोदय,

आप अवगत है कि प्रधानमंत्री की एकीकृत नगरीय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (PRIME MINISTER INTEGRATED URBAN POVERTY ERADICATON PROGRAMME) प्रदेश के श्रेणी-2 के ऐसे 46 नगरों में संचालित की जानी आपेक्षित है जहां स्थानीय निकाय के चुनाव हो चुके हों। कार्यक्रम का उद्देश्य नगरीय गरीबी के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार लाने हेतु अनुकूल माहोल बनाना है। उक्त कार्यक्रम का उद्देश्य समाजिक सेक्टर के उद्देश्यों को कारगर ढंग से पूरा करना, समुदाय की शक्तियां प्रदान करना, स्थायी सहायता प्रणालियों के जरिये सूचनाओं का प्रचार प्रसार, रोजगार का सृजन, कौशल का उच्चीकरण एवं पर्यावरण सुधार भी है। यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसकी पूरी सफलता आपके सक्रिय सहयोग पर निर्भर है।

इस पृष्ठभूमि में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री की एकीकृत नगरीय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं से कृपया आप परिचित हो लें तथा उक्त परिप्रेक्ष्य में यथा अपेक्षित कार्यवाही एवं परियोजना तैयार कराने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही तत्परता से कराने का कष्ट करें। कृपया कृत कार्यवाही से निदेशक, राज्य नागर विकास अभिकरण एवं शासन को अवगत करा दें। योजना की प्रति संलग्न की जा रही है।

भवदीय,

(आर.वी. भास्कर)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार :

प्रतिलिपि :- निदेशक, राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र. लखनऊ को संलग्नक सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। इस संबंध में आपसे यह भी आपेक्षित है कि दिशा निर्देशों को प्रदेश में उपलब्ध अवस्थापनाओं, प्रवृत व्यवस्थाओं तथा अन्य बातों के मद्देनजर उसे अपनाये जाने के संबंध में अपनी सुविचारित आख्या कृपया शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(मो. अकरम)
अनुसचिव